

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18102022-239718
SG-DL-E-18102022-239718

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]	दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 2022/अश्विन 25, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 299
No. 463]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2022/ASVINA 25, 1944	[N. C. T. D. No. 299

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 अक्तूबर 2022

फा. सं. 53/34/2016/GAD/CN/1995.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर 2022

फा.सं.14011/04/2022-दिल्ली-II.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप धारा (2) के खंड (ग), (घ) और (ङ) के तहत

उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां उक्त अधिनियम की धारा 7 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव आयोग द्वारा प्रयोग की जायेंगी।

हस्ता./-

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव।

आदेश से

आशीष माधवराव मोरे, सचिव (सा. प्र. वि.)

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th October, 2022

F. No. 53/34/2016/GAD/CN/1995.—The following is published for general information:—

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October 2022

F.No.14011/04/2022-Delhi-II.—In exercise of the powers conferred by section 490A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under clauses (c), (d) & (e) of sub section (2) of Section 5 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, shall be exercisable by the Election Commission of the National Capital Territory of Delhi referred to in section 7 of the said Act.

Sd/-

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

By, Order

ASHISH MADHAORAO MORE, Secy. (GAD)